बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) कार्यालय,

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

<u>आवश्यक सूचना</u>

<u>संदर्भ : विज्ञापन संख्या 01/2023</u>

मानानीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 18802/2017, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 15.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र संख्या–11/आ0–न्याय–73/2024 **12679**/सा0प्र0, दिनांक 12.08.2024 (बिहार गजट संख्या 764 दिनांक 12 अगस्त, 2024) द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 9532, दिनांक 01.07.2015 को निरस्त करते हुए तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्ग की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

2. केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत 'सिपाही' के 21,391 पदों पर तांती (ततवा) जाति से सम्बन्धित सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने अपने ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित जाति आरक्षण कोटि का दावा किया है, को यह निदेश दिया जाता है कि, वे पर्षद की वेबसाईट पर Bihar Police Tab के अन्तर्गत दिये गये वेब लिंक (आवेदन से संबंधित Special Window) पर जा कर अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर/ रौल नम्बर अथवा मोबाईल नम्बर तथा जन्म–तिथि को दर्ज कर Login करते हुए **दिनांक 02.09.2024 से 08.09.2024** तक अपनी आरक्षण कोटि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) में अवश्य सुधार कर लें। साथ हीं उक्त संबंध में घोषणा पत्र भी अपलोड कर दें। घोषणा पत्र पर्षद की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के समय ऐसे सभी अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र समर्पित करना भी आवश्यक होगा। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

4. यदि दिनांक 08.09.2024 तक सुधार नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर पर्षद निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

अनुलग्नक – घोषणा पत्र का प्रपत्र।

ह0/–

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती),

बिहार

बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) कार्यालय,

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

घोषणा पत्र

संदर्भ : विज्ञापन संख्या– 01/2023

मैं .... अनुक्रमांक.............................पंजीयन संख्या .... परीक्षा का नाम..................................पुत्र/पुत्री .... निवासी ग्राम/कस्वा/शहर .... जिला .... बिहार। उक्त परीक्षा हेतु समर्पित ऑनलाईन आवेदन में मेरे द्वारा तांती (ततवा) जाति के रूप में पूर्व संकल्प संख्या–9532, दिनांक 01.07.2015 के आलोक में अनुसूचित जाति कोटि का दावा किया गया है।

इस क्रम में एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं तांती (ततवा) समुदाय का/की सदस्य हूँ, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या–11/आ0–न्याय–73/2024 12679/सा0प्र0, दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

तदालोक में मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि शारीरिक दक्षता के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र समर्पित करूँगा/ करूँगी। उक्त प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर मेरे अभ्यर्थित्व पर पर्षद निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तिथि सहित